

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारो ॥
शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 1996 / मार्गशीर्ष 29, 1918 ॥शक॥

संख्या : 306

सदस्य को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित अतिरिक्त पुलिस
उप्रायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का दिनांक 11.12.1996 का निम्न-
लिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के
माननीय सदस्य श्री राम भज को उनके समर्थकों सहित आज अर्थात्
दिनांक 11.12.1996 को अपराहन 1310 बजे, पुलिस अधिनियम,
1978 की धारा 65 के अन्तर्गत पुलिस के विधिसम्मत निर्देशों की
अवज्ञा करने के कारण पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली से
नज़रबंद किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 11.12.1996 को अपराहन 13.25 बजे,
पुलिस थाना संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया ।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART -II

(General information relating to Legislative & other matters)
Friday, December 20, 1996/Margshishi 29, 1918 (Saka)

No.306

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message dated 11.12.1996 addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from the Addl. Dy. Commissioner of Police:ii, New Delhi District, New Delhi :-

" I have the honour to inform you that Shri Ram Bhaj, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street, in front of Police Station Parliament Street, New Delhi at 1310 Hrs. today i.e. 11.12.1996.

He was released at 1325 Hrs. from the Police Station Parliament Street, New Delhi the same day i.e. 11.12.1996."

P.N. GUPTA
SECRETARY